



बिहार सरकार  
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
**बिहार महादलित विकास मिशन**

मुख्यमंत्री सचिवालय, 4, देश रत्न मार्ग (4 K.G.), बिहार, पटना फोन—(0612) 2215083  
इमेल — [bmvm.hq@bmvm.org](mailto:bmvm.hq@bmvm.org), वेबसाइट — [www.mahadalitmission.org](http://www.mahadalitmission.org)



दिनांक 19.10.2011 को मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन की अध्यक्षता में  
“मुख्यमंत्री महादलित रेडियो योजना” से संबंधित प्री-बिड बैठक की कार्यवाही –

**उपस्थिति :**

क्रम सं०	नाम	पदनाम/विभाग	दूरभाष
1	श्री प्रभात कुमार	मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन	
2	श्री इन्द्रजीत मुखर्जी	सहायक निदेशक (क), अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग	
3	श्रीमति देवजानी कर	राज्य परियोजना पदाधिकारी, बिहार महादलित विकास मिशन	9934245779
4	मो० शाहजहाँ	राज्य परियोजना प्रबंधक (समन्वय), बिहार महादलित विकास मिशन	9473243228

**एजेंसी के प्रतिनिधिगण**

क्रम सं०	नाम	पदनाम/विभाग	दूरभाष	ई-मेल
1	श्री नीतीस रंजन सिंह	फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लि०	9334853919	nitish.singh@philips.com
2	श्री सायन चक्रवर्ती	संतोष इंडिया प्रा० लि०	9007007060	sayanc@live.in
3	श्री एन० पी० सिंह	बी०पी०एल०	9431114457	Singh.np@gmail.com
4	श्री सी० भट्टाचार्यजी	मैनेजर मार्केटिंग, जोली विडियोट्रॉनिक्स, सिविल लाईन, रामपुर, उत्तर प्रदेश	9335227665	Chivodeep.d@refiffmail.com
5	श्री अमीत कुमार	विमैक्स, दिल्ली	9431646382	arian_modules@gmail.com

**बैठक की कार्यवाही –**

मुख्यमंत्री महादलित रेडियो योजना अन्तर्गत महादलितों को मुख्य धारा से जोड़ने एवं प्रभावी जीवन दृष्टि बनाने हेतु इस योजना के तहत प्रत्येक महादलित परिवार को ट्रांजिस्टर क्रय करने के लिए 400/- रु० का कूपन दिया जाना है। 400 रु० से अधिक की राशि वाले ट्रांजिस्टर/रेडियो के लिए देय अतिरिक्त राशि का वहन लाभुकों द्वारा किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत लगभग 21.00 लाख महादलित परिवारों को उनकी इच्छा अनुसार ट्रांजिस्टर/रेडियो उपलब्ध कराया जाना है, जिसके लिए जिला/प्रखंड स्तर पर मूल निर्माता कंपनियों से शिविर लगाकर रेडियो

उपलब्ध कराने हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई। भाग लेने वाले कंपनी प्रतिनिधियों की पृच्छाओं के आलोक में उन्हें अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव से संबंधित निम्न जानकारियाँ दी गई : –

- कंपनी के पास ट्रांजिस्टर/रेडियो निर्माण का बैद्य लाईसेंस होना चाहिए।
- शिविर लगाने पर होने वाले व्यय का वहन शिविर में भाग लेने वाली कंपनियों द्वारा किया जाएगा।
- प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से मॉडलवार, माहवार उत्पादन क्षमता का उल्लेख करना होगा। साथ ही मॉडलवार रेडियो की बिक्री कीमत (सभी कर सहित) का भी उल्लेख करना होगा।
- बैट्री के साथ एडेप्टर वाले ट्रांजिस्टर-रेडियो MW, SW एवं FM मोड में चलने वाले तकनीकी विशिष्टताएं तथा उनका अलग-अलग न्यूनतम मूल्य का प्रस्ताव में उल्लेख करना आवश्यक है।
- इच्छुक मूल निर्माता कंपनी अलग-अलग मुहर बन्द लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव दिनांक 21.10.2011 को 3.00 बजे अपराह्न तक मिशन कार्यालय में ट्रांजिस्टर-रेडियो के नमूना के साथ समर्पित करना होगा।
- सील बंद प्रस्ताव समर्पित करने की अंतिम तिथि 21.10.2011 अपराह्न 3.00 बजे तक है।

**मिशन निदेशक**